संख्या-108/2018/907/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
भागीदारी भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 31 मार्च, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत 08-कार्यालय एवं 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-453/भा0भ0/2017-18 दिनांक-07.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-01-277-17-छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के मद में रू0-7.50 लाख (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2017-18 में नही की जायेगी।

5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6--स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

7-उक्त धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में विद्यमान सुसंगत नियमों का कड़ाई से पालन करते हुये निर्धारित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-17-छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-108/2018/907(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017–18

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–17–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ–00					
02–मजदूरी	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
04–यात्रा व्यय	0.25	0.25	0.22	0.22	0.03
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
10–जलकर एवं जल प्रभार	10.00	2.98	2.18	2.18	7.82
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00	1.00	1.00	9.00
29–अनुरक्षण	3.00	2.50	1.50	1.50	1.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
योग	25.85	18.33	7.50	7.50	18.35

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–17–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ–00					
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	23.00	30.50	7.50	7.50	30.50
योग	23.00	30.50	7.50	7.50	30.50

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 टंकण की त्रुटि के कारण पुनर्विनियोग द्वारा अधिक धनराशि आवंटित हो जाने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– संस्थान के 11 रिक्त पदो पर सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के भुगतान हेतु एवं संविदा पर संचालित सफाई व्यवस्था के भुगतान हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–806 आर0ई0–3– /दस–2018 दिनांक 31 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

राम रतन

उप सचिव

वित्त विभाग।

हा0

so bm 9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या– 108 /2018/907(1)/26–3–2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र),
अनु सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।